न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या – 03/2021

जी.सी.एम.एस नम्बर – 2021/6

अपीलांटः–

1. कल्याण सिंह पुत्र श्री जयसिंह उम 39 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी देसुरी तहसील देसुरी जिला पाली राजस्थान

बनाम रेस्पोंडेंट्सः–

1. सीता पत्नी रामसिंहजी, जाति राजपुरोहित निवासी देसुरी, तहसील देसुरी जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार, देसुरी

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 2

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध ग्राम देसुरी के म्यूटेशन संख्या 3348 जो तहसीलदार देसुरी दिनांक 25.05.2020 को स्वीकृत किया, उस आदेश को निरस्त कराने बाबत्

–:आदेशः– दिनांक 8/1/21

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसुरी के खसरा नंबर 1131 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल तथा जिसमें मृतक रामसिंह का 7/18 हिस्सा तथा देसुरी के खसरा नंबर 1132, 1135, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 कुल खसरा 10 कुल रकबा 6.8100 में मृतक रामसिंहजी का 1/4 हिस्सा था, जो हक हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में तारीख 27.02.2020 को जरिये वसियतनामा के अपीलाण्ट के पक्ष में वसियत कर दी, जो कृषि भूमि अपीलाण्ट के हक हस्से की थी, जिस सम्पूर्ण आराजी में मृतक रामसिंह पुत्र श्री दवीसिंह के नाम थी, वो अपीलाण्ट के हक में वसियत की और जरिये वसियत अपीलाण्ट विधिवत् इस भुमि का खातेदारी देने का हक रखता है चूंकि मृतक रामसिंह का तारीख 09.03.2020 को देहान्त हो गया है उसका मृत्यु प्रमाण इस अपील के साथ पेश किया गया है उसका मृत्यु प्रमाण इस अपील के साथ संलग्न है ऐसी सुरत में उक्त भुमि वसियत के आधार पर अपीलाण्ट इस भुमि का हक अधिकार रखता है। अपीलाण्ट ने तारीख 11.03.2020 को वसियतनामा लगाते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के यहा आवेदन कर दिया, लेकिन बिना आवेदन का निस्तारण इस भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जो विरासत का म्युटेशन इस तरह से दर्ज नही किया जा सकता, क्योकि उक्त भुमि मृतक रामसिंह ने अपनी स्वेच्छा से अपीलाण्ट द्वारा की गई सेवा चाकरी के कारण प्रसन्नचित में मुद्रा में उक्त भूमि अपीलाण्ट को जरिये वसियत दी गई। अपीलाण्ट ने जो मृतक रामसिंह की सेवा की है और

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

चूकि रामसिंह के कोई जायन्दा संतान पुत्र पुत्री नहीं होने से इस भूमि का अपीलाण्ट के अन्य भाई हड़पना चाहते थे। जैसा कि वसियतनामा में भी मातीसिंह व अन्य भाई का मन मुटाव था, इसलिये पहले तो इस भुमि का वसियतनामा अपीलाण्ट के पुत्र उदयवर्धन के नाम किया था, लेकिन मृतक रामसिंह को पता था कि ये नाबालिग है और विवाद करेगें, इसलिये बाद में अपीलाण्ट के हक में आखरी वसियतनामा निष्पादित किया, ऐसी सुरत में उक्त भूमि की खातेदारी सीता के पक्ष में नही दर्ज करके वसियत के आधार पर अपीलाण्ट करनी थी, ऐसी नही किया।

अपीलाण्ट ने आवेदन पेश किया लेकिन उस पर कोई नतीजा भूमिधारी तहसीलदार ने नही दिया, न ही मामला दर्ज करके इस मामले को साक्ष्य सबूत लेकर निस्तारण करना था, जो नही किया है, इस कारण यह म्यूटेशन संख्या 3348 जो तारीख 25.05.2020 को स्वीकृत किया है, उस आदेश को निरस्त फरमावे तथा उक्त पत्रावली अधिनस्त भूमिधारी तहसीलदार को विधिवत् सुनवाई कर वसियतनामा के आधार पर अपीलाण्ट के नाम म्युटेशन दर्ज करने का आदेश फरमावें। अपीलाण्ट मृतक रामसिह की खातेदारी भूमि को जरिये वसियत प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन प्रार्थी का आवेदन व वसियतनाम पेश कर भूमिधारी को आवेदन किया, फिर भी उस पर निर्णय नही दिया है, इस कारण अपीलाण्ट इस म्युटेशन आदेश दिनांक 25.05.2020 से पीड़ित है।

अपीलाधीन आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी तारीख 22.03.2021 को तब हुई, जब अपीलाण्ट भूमिधारी तहसीलदार देसुरी के पास गया और अपना आवेदन दिनांक 11.03.2020 के बारे में जानकारी चाही तो उन्होने स्पष्ट शब्दो में कह दिया कि आपके आवेदन के बारे में कोई निर्णय नही हुआ व मृतक रामसिह की पत्नी सीता के पक्ष में म्युटेशन दर्ज कर दिया है, ऐसी सूरत में अपीलाण्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोरोना की वजह होते हुए भी मैनें कई बार आपसे इस भूमि संबंधी सम्पर्क साधा, लेकिन कोरोना की बहानाबाजी करते रहे और अब यह कहा गया कि इस जमीन म्यूटेशन को 3348 तारीख 25.05.2020 को मृतक रामसिंह की पत्नी सीता के नाम दर्ज हो गया, तब अपीलाण्ट ने आवेदन तारीख 22.03.2021 को पेश किया वह तुरन्त प्रभाव से नकल लेकर पाली आया, जिस जानकारी से उक्त अपील अन्दर म्याद पेश है। वैसे तो कोरोना की वजह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीति निर्देश जारी किये कि कोरोना की वजह से कोई भी अपील निगरानी अवधि बाहर तो उसे विधि में म्याद में शुमार करावे और वैस अपीलाण्ट के इस भूमि संबंधी संवैधानिक हक अधिकार छिने जा रहे है ऐसी सूरत में ऐसे अवैधानिक आदेश को अपीलाण्ट कभी भी चुनौती दे सकता है। इस कारण भी उक्त अपील को उक्त कारण से अन्दर म्याद शुमार फरमावें। अतः ग्राम देसुरी के म्यूटेशन संख्या 3348 जो तारीख 25.05.1920 को स्वीकृत किय उसे मय खर्चा खारिज फरमावें तथा अपीलाण्ट के हक में खातेदारी दर्ज करने का विधिसम्मत निर्णय पारित करने का हुक्म प्रदान करावे।

2. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुई।

5. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बहस के द्वौरान निवेदन किया कि ग्राम देसुरी के खसरा नंबर 1131 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल तथा जिसमें मृतक रामसिंह का 7/18 हिस्सा तथा देसुरी के खसरा नंबर 1132, 1135, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 में मृतक रामसिंहजी का 1/4 हिस्सा था, जो हक हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में तारीख 27.02.2020 को जरिये वसियतनामा के अपीलाण्ट के पक्ष में वसियत कर दी, जो कृषि भूमि अपीलाण्ट के हक हस्से की थी, जिस सम्पूर्ण आराजी में मृतक रामसिंह पुत्र श्री दवीसिंह के नाम थी, वो अपीलाण्ट के हक में वसियत की और जरिये वसियत अपीलाण्ट विधिवत् इस भुमि का खातेदारी देने का हक रखता है चूंकि मृतक रामसिंह का तारीख 09.03.2020 को देहान्त हो गया है ऐसी सुरत में उक्त भुमि वसियत के आधार पर अपीलाण्ट इस भुमि का हक अधिकार रखता है। अपीलाण्ट ने तारीख 11.03.2020 को वसियतनामा लगाते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के यहा आवेदन कर दिया, लेकिन बिना आवेदन का निस्तारण इस भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जो विरासत का म्युटेशन इस तरह से दर्ज नही किया जा सकता, क्योकि उक्त भुमि मृतक रामसिंह ने अपनी स्वेच्छा से अपीलाण्ट द्वारा की गई सेवा चाकरी के कारण प्रसन्नचित में मुद्रा में उक्त भूमि अपीलाण्ट को जरिये वसियत दी गई। अपीलाण्ट ने जो मृतक रामसिंह की सेवा की है और चूकि रामसिंह के कोई जायन्दा संतान पुत्र पुत्री नहीं होने से इस भूमि का अपीलाण्ट के अन्य भाई हड़पना चाहते थे। जैसा कि वसियतनामा में भी मोतीसिंह व अन्य भाई का मन मुटाव था, इसलिये पहले तो इस भुमि का वसियतनामा अपीलाण्ट के पुत्र उदयवर्धन के नाम किया था, लेकिन मृतक रामसिंह को पता था कि ये नाबालिग है और विवाद करेगें, इसलिये बाद में अपीलाण्ट के हक में आखरी वसियतनामा निष्पादित किया, ऐसी सुरत में उक्त भूमि की खातेदारी सीता के पक्ष में नही दर्ज करके वसियत के आधार पर अपीलाण्ट करनी थी, ऐसी नही किया, फिर भी म्युटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया, जिस म्युटेशन को निरस्त करना लाजमी है। अपीलाण्ट ने आवेदन पेश किया लेकिन उस पर कोई नतीजा भूमिधारी तहसीलदार ने नही दिया, न ही मामला दर्ज करके इस मामले को साक्ष्य सबूत लेकर निस्तारण करना था, जो नही किया है, इस कारण यह म्यूटेशन संख्या 3348 जो तारीख 25.05.2020 को स्वीकृत किया है, अतः ग्राम देसुरी के म्यूटेशन संख्या 3348 जो तारीख 25.05.2020 को स्वीकृत किय उसे खारिज फरमावें तथा अपीलाण्ट के हक में खातेदारी दर्ज करने का विधिसम्मत निर्णय पारित करने का हुक्म प्रदान करावें

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 ने बहस द्वौरान निवेदन किया कि तहसीलदार देसूरी द्वारा म्युटेशन संख्या 3348 द्वारा भरा गया है वह विधि संगत है।

8. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। श्री रामसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुरोहित द्वारा वसीयत नामा कल्याण सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया है। तहसीलदार देसूरी ने अपीलाण्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के समुचित अवसर नही दिये गये। तहसीलदार देसूरी द्वारा ग्राम देसुरी के खसरा नंबर 1131, 1132, 1135, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 25.05.2020 स्वीकृत किया गया को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। मौजा ग्राम देसूरी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 3348 दिनांक

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

25.05.2020 तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 135 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा दोनो पक्षों को नोटिस से तलब किया जाकर, साक्ष्य/सबूत, सुनवाई का प्रयाप्त अवसर देकर तथा वसीयतनामा की जांच कर उक्त नामान्तरकरण को पुनः नियमानुसार विधि अनुरूप कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 8/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)